

**प्रथम अनुसूची**  
**(धारा 18 और 6 देखें)**

मैं ..... ग्राम परिषद/द्वीप परिषद के सदस्य/फस्ट कैटेन/सेकेंड कैटेन/वाइस चीफ कैटेन के रूप में चुना गया हूँ ईश्वर के नाम पर/सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा गठित भारत के संविधान के प्रति सच्चे विश्वास और निष्ठा बनाए रखूँगा, और मैं भारत की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूँगा और मैं बिना भय अथवा पक्षपात अथवा दुर्भाव के अपनी योग्यता, ज्ञान तथा विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को सत्यनिष्ठा से निर्वाह करूँगा।

**द्वितीय अनुसूची**  
**(धारा 27 की उपधारा (1) देखें)**

ग्राम परिषद को स्वायत शासी संस्थान के रूप में कार्य करने का प्राधिकार होगा।

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में :—

- (क) घरेलू उपयोग और पशुओं के लिए जलापूर्ति;
- (ख) टैंकों, तथा सिंचाई के प्रयोजन और अन्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में लाए जाने वाले कुओं के अलाग सार्वजनिक सड़कों, नालों, तालाबों, टैंकों और कुओं का निर्माण और साफ सफाई;
- (ग) स्वच्छता, मलनिकासी, और उपद्रवों का रोकथाम तथा उपशमन;
- (घ) लोकस्वास्थ्य का निवारण तथा सुधार, जनराहत उपलब्ध कराने वाले औषधालयों का अनुरक्षण;
- (ङ) चाय, कॉफी तथा दुध दुकानों के लाइसेंसिंग अथवा अन्य तरीके से नियन्त्रण;
- (च) दहन स्थल का प्रावधान, अनुरक्षण तथा नियंत्रण;
- (छ) शवों का सुव्यवस्थित निपटान सुनिश्चित करना, बिना दावों के शवों और लाशों के निपटान के लिए सुनिश्चित स्थान का प्रावधान;
- (ज) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (झ) संक्रामक बीमारियों के उत्पन्न होने, फैलने से रोकने तथा निवारण के लिए उपाय करना;
- (ज) हानिकारक स्थानों को ठीक करना;
- (ट) अनचाहे घास—फूस, जंगली झाड़ियों को हटाना, अनुपयोगी कुओं, अस्वच्छ तालाबों, खड्डों, गड्ढों आदि को भरना, सिंचित क्षेत्रों में जल जमाव की रोकथाम तथा स्वच्छता स्थितियों में अन्य सुधार;
- (ठ) मातृत्व तथा बाल कल्याण;
- (ड) मानव तथा पशु टीकाकरण को प्रोत्साहन;
- (ढ) खाद गड्ढों का प्रबन्ध तथा अनुरक्षण;
- (ण) सुव्यवस्थित पशुपालन तथा आवारा पशुओं तथा कुत्तों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाना;
- (त) खतरनाक अथवा आपराधिक व्यापारों अथवा प्रवृत्तियों का नियंत्रण, जाँच और उसे समाप्त करना;
- (थ) सार्वजनिक गलियों और स्थानों पर जलापूर्ति करना;
- (द) सार्वजनिक गलियों, स्थानों तथा नालों की सफाई, सभी स्थानों, जो सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं है, जो लोगों के मनोरंजन के लिए खुला है, चाहे वह स्थान परिषद के अधिकार में है या नहीं, से अनचाहे सब्जबागों को हटाना तथा कमियों को दूर करना।
- (घ) आग लगने पर इसे बुझाकर जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना;
- (न) सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों और जो सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं है, एसे स्थानों, जो लोगों के मनोरंजन के लिए खुला है, चाहे वह स्थान परिषद के अधिकार में है या नहीं, से बाधाओं को हटाना;
- (प) खतरनाक भवनों अथवा स्थानों को सुरक्षित करना अथवा हटाना;